T.A. Misc. Case No. 04/2020-21

...की ...संख्या ... तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ

अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख आवेदक/आवेदिका श्री अर्जुन सिंकु, पिता– स्व० मारतम सिंकु, निवासी ग्राम– कंसलापोस, थाना– जगन्नाथपुर, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत 'हो' जाति है, के द्वारा खाता संख्या– 89, प्लॉट संख्या– 3874, रकवा– 16 (सोलह) डी० भूमि जो मौजा– बड़ा नन्दा, थाना संख्या– 718, परगाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, क्रेता सुमित्रा पुरती, पति– श्री जोटेया विरूली, ग्राम– हेस्सापी, थाना– जगन्नाथपुर, राजस्व थाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) को छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम के तहत् 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये में बिक्री किये जाने की अनुमति की मांग को लेकर प्रारम्भ किया गया है। आवेदन के साथ क्रेता एवं विक्रेता का स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा निर्गत है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत 'हो' जाति के है। अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जो प्राप्त है। अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर का जाँच प्रतिवेदन एवं ग्रामीण मुण्डा के व्यान में आवेदित भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गई है। आवेदित भूमि पंजी II में विक्रेता अर्जुन सिंकु, पिता– स्व० मारतम सिंकु के नाम से ना०मु०सं०– 88/2014–15 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा खाता संख्या– 89, प्लॉट संख्या– 3874, रकवा– 2.60 (दो एकड़ साठ डिसमिल) एकड़ भूमि विक्रेता के नाम पर नामान्तरण है। दिनांक 03.07.2020 को क्रेता, विक्रेता एवं ग्रामीण मुण्डा की उपस्थिति में सुनवाई की गई है। ग्रामीण मुण्डा गुरू चरण सिंकु द्वारा लिखित व्यान दिया गया है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उनके द्वारा विक्री की अनुशंसा की गयी है।

अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा विक्री अनुमति की अनुशंसा की गई है। आम सूचना निर्गत किया गया था जिसके उपरान्त कोई भी आपति प्राप्त नहीं हुई है। अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता द्वारा धारित कुल भूमि का रकवा– 3.19 (तीन एकड़ उन्नीस डिसमिल) एकड़ है एवं विक्री के पश्चात् आवेदक के पास प्रर्याप्त भूमि भरण–पोषण हेतु शेष बच जाता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना जगन्नाथपुर के निवासी है तथा दोनों 'हो' जाति के है, जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आता हैं।

अतः आवेदक के आवेदन, अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदित भूमि मौजा– बड़ा नन्दा, थाना– जगन्नाथपुर, थाना संख्या– 718, खाता संख्या– 89, प्लॉट संख्या– 3874 एवं रकवा– 16 (सोलह) डी० भूमि क्रेता सुमित्रा पुरती, पति– श्री जोटेया विरूली, ग्राम– हेस्सापी, थाना– जगन्नाथपुर, राजस्व थाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं, को आवेदित राशि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो अधिक हो पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46(1) प्रोभिजो 'ए' के अन्तर्गत विक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

07/7/2020

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।